उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 304 / 2016 / 04(120) / XXVII(8) / 16
दिनांक:: देहरादून:: 21 जून, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0–27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

अनुसूची–I के क्रमांक 35 (क) पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात–

क्र0 सं0	माल का विवरण	कर की दर
35(क)	खादी कपड़ा एवं खादी से निर्मित सभी प्रकार के वस्त्र एवं खादी कपड़े द्वारा निर्मित यथा रजाई, गद्दे, गद्दी, तकिये एवं इनके खोल	करमुक्त

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–304 / 2016 / 24(120) / XXVII(8) / 2010,तद्दिनांक:
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4. सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5. एन0आई0सी0
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

विधि .... अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

Karuna/notification

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 304/2016/04(120)/XXVII(8)/2016 dated 21 June, 2016 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 304/2016/04(120)/XXVII(8)/2016
Dehradun :: Dated: 21 June,2016

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section **(4)** of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax, 2005 (Act no.27 of 2005) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the amendment in Schedule-I of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

In Schedule I for the existing entry at serial no. 35(a) the following entry shall be substituted; namely-

Sr. N0.	Description of goods	Rate of tax
35	Khadi cloth and all types of khadi garments and made ups of Khadi such as rajaai, gadda, gaddi, pillows and their covers.	Exempt

(Amit Singh Negi)
Secretary.

Karuna/notification